भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1457**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत निर्यात प्रदर्शन

1457. श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री देवसिंह चौहान:
क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) गत वित्त वर्ष के दौरान हमारे मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भागीदारों के साथ दर्ज की गई कुल वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात परिमाण कितना है;
(ख) नए आरंभ किए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत अधिमान्य प्रशुल्क लाभों की उपयोग दरें क्या हैं; और
(ग) सरकार द्वारा सभी श्रम-प्रधान घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि की निगरानी के लिए क्या रणनीतिक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचकर अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है, जिसमें पण्यवस्तु निर्यात 441.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और सेवा निर्यात बढ़कर 421.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो निर्यात वृद्धि को भारत के पण्यवस्तु और सेवा क्षेत्रों की संयुक्त क्षमता को दर्शाता है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पण्यवस्तु निर्यात के गंतव्य-वार आकड़े और एफटीए वार भारत का पण्यवस्तु निर्यात तालिका 1 में निम्नवत दिया गया है।

तालिका-1: वित्तीय वर्ष 2025-26 में एफटीए भागीदारों को भारत का पण्यवस्तु निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मुक्त व्यापार समझौतें	कार्यान्वयन की तिथि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पण्यवस्तु निर्यात(मिलियन अमेरिकी डॉलर)
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)	29 दिसंबर 2022	7284.17
भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता	29 जुलाई 2006 और 29 जुलाई 2017 से नवीनीकृत	1252.86
भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)	1 अगस्त , 2011	6039.5
भारत-कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)	1 जनवरी , 2010	6012.03
भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)	1 जुलाई, 2011	6825.55
भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	1 अप्रैल , 2021	473.64
भारत-नेपाल व्यापार संधि	27-10-2009	7447.11
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)	हस्ताक्षरित, अभी लागू नहीं हुए	566.51
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)	01 जून 2026	4021.48
भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)	1 अगस्त , 2005	11863.66
भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएफटीए)	1 मार्च , 2000	5516.83
भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौता (अर्ली हार्वेस्ट स्कीम)	1 सितंबर , 2004	5058.6
भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)	1 मई 2022	37359.11

मुक्त व्यापार समझौतें	कार्यान्वयन की तिथि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पण्यवस्तु निर्यात(मिलियन अमेरिकी डॉलर)
भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)	15 जुलाई 2026	13444.19
आसियान-भारत वस्तु, सेवा एवं निवेश व्यापार समझौता (एआईएफटीए)	वस्तुएं दिनांक 1 जनवरी 2010 को भारत और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के संबंध में । 1 जून 2010 को भारत और वियतनाम के संबंध में । 1 सितम्बर 2010 को भारत और म्यांमार के संबंध में । 1 अक्टूबर 2010 को भारत और इंडोनेशिया के संबंध में । 1 नवंबर 2010 को भारत और ब्रुनेई के संबंध में । 24 जनवरी 2011 को भारत और लाओस के संबंध में । 1 जून 2011 को भारत और फिलीपींस के संबंध में । 1 अगस्त, 2011 को भारत और कंबोडिया के संबंध में। सेवाएँ और निवेश 1 जुलाई , 2015	38416.33
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) समझौता	1 जनवरी 2006 *(टैरिफ रियायतें 1 जुलाई, 2006 से लागू की गईं)*	25774.68
भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)	01 अक्टूबर 2025	1755.07

स्रोत: डीजीसीआईएस, टीआईए पोर्टल

(ख) सरकार नए लागू हुए व्यापार समझौतों (2021 के बाद हस्ताक्षरित) के अंतर्गत अधिमान्य प्रशुल्क लाभों के उपयोग पर उत्पत्ति के प्रमाणपत्र और भागीदार-देश व्यापार डेटा के माध्यम से निगरानी करती है।

- **भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए):** दिनांक 1 मई 2022 को लागू होने के बाद से, 4.45 लाख उत्पत्ति के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जो भारतीय निर्यातकों द्वारा टैरिफ रियायतों के मजबूत उपयोग को दर्शाते हैं। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की जाने वाली एचएस 8-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2021-22 (प्री-सीईपीए) में 7,546 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,053 हो गई, इन टैरिफ लाइनों पर निर्यात 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। यह 507 टैरिफ लाइनों (6.7%) की वृद्धि को दर्शाता है, जो सीईपीए लागू होने के बाद यूएई बाजार में अधिक निर्यात विविधीकरण और बाजार में गहरी पैठ का संकेत मिलता है।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए):** दिसंबर 2022 में इसके लागू होने के बाद से, 2.73 लाख उत्पत्ति के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। ईसीटीए से पहले, वित्तीय वर्ष 2020-21 में केवल 1,482 उत्पत्ति के प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। समझौते के कार्यान्वयन के बाद, उत्पत्ति के प्रमाणपत्र जारी करने की संख्या में काफी वृद्धि हुई, जिसमें वार्षिक औसतन लगभग 45,527 उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, एचएस 8 स्तर पर 5396 टैरिफ लाइनें और वित्तीय वर्ष 2025-26 में एफटीए के बाद, एचएस 8 स्तर पर 5668 टैरिफ लाइनें 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हैं। यह 272 टैरिफ लाइनों की वृद्धि को दर्शाता है, जो ईसीटीए के लागू होने के बाद निर्यात में अधिक विविधता और बाजार तक बेहतर का संकेत मिलता है।
- **भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए**): दिनांक 1 अप्रैल 2021 को सीईसीपीए लागू हुआ। यह समझौता मॉरीशस में 310 भारतीय उत्पाद लाइनों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करता है और इसमें वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और आर्थिक सहयोग को शामिल किया गया है। भारतीय निर्यातकों ने समझौते के तहत 1,956 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करके अधिमान्य टैरिफ लाभ प्राप्त किया है। इसके अलावा, मॉरीशस को निर्यात की जाने वाली एचएस 8-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2021-22 (प्री-सीईसीपीए) में 3,593 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,345 हो गई, जिसमें इन टैरिफ लाइनों में निर्यात लगभग 473 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 752 टैरिफ लाइनों (20.9%) की वृद्धि को दर्शाता है, जो सीईसीपीए लागू होने के बाद निर्यात में अधिक विविधता और बाजार तक बेहतर का संकेत मिलता है।
- **भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए):** सीईपीए ओमान को मूल्य के आधार पर भारत के 99.38% निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जिसमें ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों को कवर करता है, जिससे यह खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे व्यापक बाजार पहुंच परिणामों में से एक बन जाता है। दिनांक 1 जून 2026 को इसके लागू होने के बाद से, 783 उत्पत्ति के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, ओमान को निर्यात किए जाने वाले एचएस 8-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइनों की संख्या मई 2026 में 2,879 से बढ़कर जून 2026 में 3,371 हो गई। इन टैरिफ लाइनों में निर्यात जून 2026 में 622.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि मई 2026 में यह 402.7 मिलियन

अमेरिकी डॉलर (54.7% की महीने-दर-महीने वृद्धि) और जून 2025 में 215.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (189.6% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) था, जो समझौते के कार्यान्वयन के बाद बढ़ी हुई बाजार पहुंच और निर्यात विविधीकरण को दर्शाता है।

- **भारत ईएफटीए-टीईपीए:** टीईपीए के तहत, ईएफटीए ने भारत के निर्यात के 99.6% को शामिल करते हुए 92.2% टैरिफ लाइनें प्रस्तुत की है। इसमें 100% गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (पीएपी) पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं। अक्टूबर 2025 में इसके लागू होने के बाद से, 7885 उत्पत्ति के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जो भारतीय निर्यातकों द्वारा टैरिफ रियायतों के प्रभावशाली उपयोग को दर्शाता है।

(ग) भारत की हालिया एफटीए बातचीत में श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकता दी गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, न्यूजीलैंड और ईएफटीए के साथ संपन्न समझौतों ने संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक संतुलित तरीका अपनाते हुए बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त की है। कुल मिलाकर, ये समझौते भागीदार-देश टैरिफ लाइनों के एक बड़े हिस्से तक अधिमान्य पहुंच प्रदान करते हैं, उदाहरणस्वरूप, यूके को होने वाले भारतीय निर्यातों का 99%, यूरोपीय संघ टैरिफ लाइनों का 97% द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के लगभग 99.5% को कवर करता है, न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यातों के लिए 100% शुल्क-मुक्त पहुंच, ओमान की टैरिफ लाइनों का 98% और भारत-ईएफटीए टीईपीए के तहत 99.6% टैरिफ लाइनों को कवर करता है। ये समझौते श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद, कालीन, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही टैरिफ में सोच समझकर ढील देने और बदलाव के इंतजामों के जरिये संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के लिए पर्याप्त नीतिगत स्थान भी बनाये रखते है। यह संतुलित दृष्टिकोण रोजगार-गहन निर्यात को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को गहरा करने का प्रयास करता है।

सरकार ने सभी हितधारकों - वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड, संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों सहित जिलों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों को शामिल करते हुए एक संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से श्रम-गहन क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में निर्यात कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया है।

वाणिज्य विभाग ने ट्रेड ई-कनेक्ट और ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (टीआईए) पोर्टल जैसे व्यापार सुविधा और व्यापार आसूचना प्लेटफार्मों को भी काफी मजबूत किया है। ट्रेड ई-कनेक्ट एक व्यापक निर्यातक सुविधा मंच के रूप में कार्य करता है, जो निर्यातकों को अवसरों की पहचान करने और भारत के एफटीए के तहत अधिमान्य बाजार पहुंच का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के लिए बाजार आसूचना, टैरिफ जानकारी, गैर-टैरिफ बाधाओं, उत्पत्ति के नियमों के मार्गदर्शन, क्रेता-विक्रेता जानकारी, व्यापार कार्यक्रमों, देश और उत्पाद गाइड और एफटीए से संबंधित एडवाइजरी सेवाओं को एकीकृत करता है। यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों,

विदेशों में भारतीय मिशनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच जुड़ाव की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे सूचनाओं की विषमताओं को कम किया जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार होता है। टीआईए पोर्टल डेटा-संचालित नीति निर्माण और निर्यात कार्य-निष्पादन की वास्तविक समय की निगरानी का समर्थन करने के लिए व्यापक व्यापार विश्लेषण, वस्तु-स्तरीय डेटा, भागीदार-देशों की जानकारी और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड प्रदान करके इन प्रयासों को पूरा करता है।
